संख्या : 877/उन्तीस/04–2–04(15पे0)/2001

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून : दिनांक 26 अप्रैल, 2004

विषय : केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम के अन्तर्गत त्वरित नागर पेयजल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में केन्द्रांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपके पत्रांक 1228/धनावंटन प्रस्ताव दिनांक 02.04.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार शहरी विकास एवं गरीबी उप शमन मंत्रालय के पत्र संख्या Z–14013/2/2000 PHE–1/दिनांक 12 मार्च, 2004 द्वारा त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम के लिए अवमुक्त 50 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि रू0 213.45 लाख में से स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 93.45 लाख तथा भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या Z–14013/2/2000 PHE–1/दिनांक 22 मार्च, 2004 द्वारा प्राप्त रू0 118.16 लाख अर्थात् कुल 211.61 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृति हेतु अवशेष है। केन्द्राश की स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 211.61 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के प्रथम चार माह में व्यय हेतु रू0 166.67 लाख (रू0 एक करोड़ छियासठ लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित योजनाओं के निर्माणार्थ आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	जनपद	योजना का नाम	अनुमानित लागत	केन्द्र सरकार का अशं	पूर्व अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	बागेश्वर	बागेश्वर पुनर्गठन पे.यो.	311.00	155.50	70.90	84.60
2	अल्मोडा	द्वराहाट पुनर्गठन पे.यो.	576.26	288.13	120.375	82.07
		योग:–		443.63	191.275	166.67

क्रमशः...2

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार मे प्रस्तुत करके यथा आवश्यकता ही दो किस्तों में धनराशि आहरित की जायेगी एवं आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना आहरण के तुरन्त बाद शासन एवं महालेखाकार को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3– केन्द्रांश की इस धनराशि तथा पूर्व में अवमुक्त राज्यांश एवं केन्द्रांश से निर्मित योजनाओं का विवरण एवं उनके विपरीत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का योजनावार विवरण शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

4– प्रश्नगत योजना हेतु पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का योजनावार/कार्यवार उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा वित्तीय एंव भौतिक प्रगति विवरण 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा।

5– व्यय के संबंध में अन्य शर्ते शासनादेश संख्या 769/नौ–2–(51पे0)/2001 दिनांक 30 मार्च, 2001 के अनुसार तथा प्रश्नगत योजनाओ के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ही रहेगी।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तब ही किया जायेगा जब पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग कर लिया जाए।

7– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स/डी0जी0एस0एण्डी0 अथवा टेण्डर कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8– कार्य कराते समय आगणन में सेन्टेज वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार निर्धारित 12.5 प्रतिशत ही आंकलित किया जायेगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये –06–छोटे/मध्यम नगरों की जलापूर्ति (50प्रतिशत के0स0) –20–सहायक अनुदान /अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 119/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 24, अप्रैल,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रही है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या 877 (1)/नौ–2–(15पे0)/2001, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमायूँ, नैनीताल।
3– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ), उत्तरांचल पेयजल निगम,नैनीताल।
7– महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, नैनीताल।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री।
9– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त बजट सैल।
10– अपर निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड़, देहरादून।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव।